न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
354/2016	दावा 88, 188 RTA	13.12.2016	05.07.2019

1. शिशपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू
2. सरोज उम्र 15 वर्ष पुत्र व पुत्री गिरधारीलाल जरिये कुदरती माता
3. देवकरण उम्र 13 वर्ष } पानादेवी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम जासासर
4. सोनी उम्र 10 वर्ष } तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र नोरंगराम जाति मेघवंशी निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर जरिए शाखा प्रबन्धक

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत वादीगण
2. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी प्रतिवादी सं. 1

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में कृषि भूमि खसरा नम्बर 657/554 तादादी 10 बीघा 18 विश्वा रोही मौजा जासासर तहसील व जिला चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है क्योंकि यह भूमि पूर्वजों की थी। पहले वादीगण के दादा के नाम थी तथा उसके पश्चात् उनके पिता प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल के नाम आई है। चूंकि यह कृषि भूमि पैतृक है। इसलिए वादीगण का उक्त कृषि भूमि में 4/5 हिस्सा बनता है, जिसे घोषित करवाने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि उक्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 ने 1 बीघा भूमि कानाराम पुत्र रामूराम जाति नायक निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू को विक्रय बैनामा दिनांक 20.02.2013 के जरिये विक्रय कर दी तथा खाता विभाजन करवा लिया। अब उक्त कृषि भूमि के खसरा नम्बर 897/657 तादादी 1 बीघा एवं खसरा नम्बर 896/657 तादादी 9 बीघा 18 विश्वा है।

यह कि उपरोक्त कृषि भूमि दादालाई थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीलाल को विरासतन प्राप्त हुई थी। इसलिए विक्रय की गई 1 बीघा कृषि भूमि उसके कुल हिस्से में से कम की जावे। यह कि वादीगण अपने 4/5 हिस्सा की काश्त अपनी माता पानादेवी के साथ करते रहे हैं तथा अपना सम्पूर्ण 4/5 हिस्सा पर वे ही काबिज हैं। वादीगण के पिता प्रतिवा

उपखण्ड अ
चूरू

सं. 1 गिरधारीलाल ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुये भी दूसरी औरत लक्ष्मीदेवी से दूसरा विवाह कर लिया है तथा उनके मध्य भी सन्तान पैदा हो गई हैं तथा वह उक्त कृषि भूमि को उनके नाम करवाना चाहता है, जबकि कानूनन उनका कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी के कब्जा एवं काश्त में बाधा डालता है तथा शराब पीकर मारपीट करने को भी उतारू हो जाता है। उक्त कृषि भूमि विकय कर रूपये अपनी दूसरी पत्नी को देना चाहता है। पहले भी उसके एक बीघा जमीन बेच दी है। ऐसी सूरत में वादीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी सं. 1 को पाबन्द करवाये कि वह उक्त कृषि भूमि को रहन बैय मुन्तकिल नहीं करे, ना विकय करे, ना ही वादीगण के कब्जा एवं काश्त में किसी तरह की बाधा न डाले, ना डलवाये।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को कहा व कहलवाया कि वे उनके हिस्से की कृषि भूमि उनके नाम करवा देवे परन्तु वह टालमटोल करता रहा अन्त में दिनांक 25.11.2016 को ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया लिहाज़ा यही तारीख बिनाय मुखास्मत दावा है तथा वादीगण विवादित कृषि भूमि में हकदार होने से दावाधिकार रखते हैं। यह कि तहसीलदार महोदय को तकमीलन पक्षकार बनाया गया है, राज्य सरकार के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसलिए बिना दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिये ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि विवादित कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित गांव जासासर तहसील व जिला चूरू में स्थित होने से श्रवणाधिकार प्राप्त हैं, तथा दावा उचित कोर्ट फीस पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद हाजा प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे:–

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 657/554 तादादी 10 बीघा 18 विश्वा रोही मौजा जासासर तहसील व जिला चूरू में स्थित है, में वादीगण का 4/5 हिस्सा कब्जा एवं काश्त खातेदारी का है तथा राजस्व रिकार्ड में उसी के अनुसार अमल दरामद किया जावे तथा विकय की गई 1 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के 1/5 हिस्सा में से कम की जावे।

(ख) विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 657/554 तादादी 10 बीघा 18 विश्वा रोही मौजा जासासर तहसील व जिला चूरू में स्थित है, में वादीगण की भूमि के 4/5 हिस्सा में वादीगण के कब्जा एवं काश्त में किसी तरह की बाधा नहीं डाले ना डलवाये ना उसे रहन बैय मुन्तकिल या विकय करे। ऐसा कोई कार्य या उपकार्य नहीं करे जो वादीगण के हितों के खिलाफ हो।

(ग) यह कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने सुनवाई हो जावे वो भी वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली जवाबदावा में काफी समय तक लम्बित रही। वकील वादी को जवाब हेतु अन्तिम अवसर दिया गया। दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

23.10.18 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया एवं वादी सं. 1 स
व वादी सं. 2 से 4 नाबालिग की ओर से उनकी कुदरती वली सरपरस्त माता पानादेवी
प्रतिवादी सं. 1 ने उपस्थित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। पक्षकारान
पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा की गई।

प्रतिवादी सं. 1 ने अपने इकबालिया जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं.
से 6 स्वीकार है एवं मद सं. 7 व 8 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। दावा की अन्
मद बिना नम्बरी स्वीकार है। विशेष कथन में अंकित किया कि मेरी खातेदारी की कृषि भूमि
नं. 657/554 तादादी 10 बीघा 18 विश्वा रोही मौजा जासासर तहसील चूरू में स्थित है
पैतृक है। यह भूमि मुझे विरासत में मिली है। अब हम वादीगण व मैं प्रतिवादीगण ने राजीना
कर लिया है। राजीनामा के अनुसार 5 बीघा 18 विश्वा वादीगण के पक्ष में रखी गई है तथा
बीघा जमीन मुझ प्रतिवादी के पक्ष में रखी गई है। इसी राजीनामा के अनुसार ही हम दावा डि
करवाना चाहते हैं। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि राजीनामा के अनुसार दावा डि
फरमाया जावे।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में अंकित किया कि मुझ द्वितीय पक्ष के खातेदारी क
कृषि भूमि खसरा नम्बर 657/554 तादादी 10 बीघा 18 विश्वा रोही मौजा जासासर तहसील चू
में स्थित है। यह कृषि भूमि पैतृक है तथा मुझे मेरे पिता के स्वर्गवास के पश्चात् विरासत में प्राप
हुई है। इसलिए प्रथम पक्ष का भी इस भूमि में हक व हिस्सा है। यह कि इस भूमि में प्रथम पक्ष
अपने हक के लिए एक दावा अनुवानी शिशपाल वगैरह बनाम गिरधारीलाल कर रखा है। यह
दावा अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस दावा में हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने
लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर लिया है। यह कि राजीनामा के अनुसार
उक्त कृषि भूमि में से 5 बीघा 18 विश्वा भूमि प्रथम पक्ष के हिस्से में रखी गई है तथा शेष 5
बीघा भूमि द्वितीय पक्षकार के हिस्से में रखी गई है। इस राजीनामा के अनुसार ही हम दोनों पक्ष
न्यायालय से डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए राजीनामा के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा
डिक्री जारी की जाती है तो हम दोनों पक्षों को आपत्ति नहीं है। यह कि इस इस कृषि भूमि पर
द्वितीय पक्ष ने के.सी.सी. बैंक लोन ले रखा है जिसे द्वितीय पक्ष भरकर कृषि भूमि को रहनमुक्त
करवायेगा। लिहाजा यह राजीनामा हम प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य सम्पूर्ण होशहवास,
बिना किसी दवाब के, बिना किसी नशा पता के पढ़ व सुन कर व समझ कर अंगुठा निशान व
हस्ताक्षर कर रहे हैं।

पक्षकारान ने राजीनामा तस्दीक करने का निवेदन किया जिस पर राजीनामा पक्षकारान
को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया जिस पर राजीनामा
तस्दीक किया गया। वकील वादी ने वादगत कृषि भूमि की नकल जमाबन्दी पेश की जो शामिल
पत्रावली की गई।

तत्पश्चात् वकील वादी की ओर से रहनकर्ता बैंक को पक्षकार दावा बनाने हेतु प्रार्थना
पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी ने 'नो आब्जेक्शन'
अंकित किया। वकील प्रतिवादी के 'नो आब्जेक्शन' अंकित करने पर प्रार्थना पत्र का अवलोकन

उपखण्ड अधिका
चूरू

किया गया जिससे वादगत कृषि भूमि बैंक के रहन होने एवं दावा घोषणात्मक खातेदारी का होने से बैंक को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक समझते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहनकर्ता बैंक को प्रतिवादी सं. 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया जिसका अंकन लाल स्याही से दावा में किया जाकर प्रतिवादी सं. 3 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिस पर वकील वादी ने बहस का निवेदन किया।

दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने बहस में निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा हो चुका है दोनों पक्ष राजीनामा अनुसार दावा का निर्णय करवाने में सहमत हैं। रहनकर्ता बैंक प्रतिवादी सं. 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया है एवं हमें बैंक के खिलाफ कोई अनुतोष भी नहीं चाहिए। अतः पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली व पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजीनामा में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा कर वादगत कृषि भूमि कुल तादादी 10 बीघा 18 विश्वा में से 5 बीघा 18 विश्वा भूमि वादीगण के पक्ष में एवं शेष 5 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में रखनी स्वीकार की है। उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विक्रय की गई 1 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के 5 बीघा के हिस्से में से कम होगी। राजीनामा में प्रतिवादी सं. 1 ने वादगत कृषि भूमि पैतृक विरासत में प्राप्त होना अंकित किया है। वादीगण का दावा घोषणात्मक खातेदारी एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें पहले वादीगण की खातेदारी घोषित की जानी है। ग्राम जासासर की जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035, 2036 से 2039 के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी की दादालाई सम्पत्ति है। जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 ग्राम जासासर ख.नं. 657/554 तादादी 10 बीघा 18 विश्वा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त कृषि भूमि में से 1 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 कानाराम पुत्र रामूराम जाति नायक को विक्रय कर चुका है जिसका नामान्तरकरण सं. 1006 दिनांक 20.03.13 को स्वीकृत हुआ है। वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में ख.नं. 896/657 तादादी 9 बीघा 18 विश्वा दर्ज है। नकल वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम जासासर ख.नं. 905/896 तादादी 2.2510 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 गिरधारीलाल खातेदार अंकित है तथा भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर के रहन दर्ज है। उक्त जमाबन्दी के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी सं. 1 इस दौरान 1 बीघा (0.2529 हैक्टेयर) भूमि और विक्रय कर चुका है।

पत्रावली मय दस्तावेजात् एवं पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक खातेदारी की है। नियमानुसार पैतृक दादालाई सम्पत्ति में किसी भी खातेदार की जायन्दा सन्तानों का हक हिस्सा बाई बर्थ होता है। वादीगण जो कि प्रतिवादी सं. 1 के जायन्दा पुत्र–पुत्रियां हैं इसलिए वे उक्त वादगत कृषि भूमि में अपने पिता के साथ बराबर बराबर खातेदारी हिस्से की घोषणा करवा कर अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। नियमानुसार वादगत कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं.

उपखण्ड अधिकारी

1 का 1/5, 1/5 हिस्सा प्रत्येक का बनता है जिससे वादीगण के हिस्से में कुल 8.72 ए
आती है परन्तु दोनों पक्षों में आपसी सहमति से हुए राजीनामा के अनुसार वादीगण के हिस्से
5 बीघा 18 विश्वा (1.4923 हैक्टेयर) एवं शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी में अंकि
होनी है। चूंकि वादगत कृषि भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर के रहन है तथा पक्षकार
दावा ने बैंक के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा है इसलिए दावा के निर्णय व डिक्री के बाद
सम्पूर्ण कृषि भूमि बैंक के रहन ही रहेगी जिससे बैंक के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने
सम्भावना नहीं है। प्रस्तुत वाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो चुका है इसलिए स्थाई निषेधाज्ञ
जारी किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा
अनुसार दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के
आधार पर दावा वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि
भूमि ख.नं. 905/896 तादादी 2.2510 हैक्टेयर रोही ग्राम जासासर में से वादीगण को (5 बीघा
18 विश्वा) 1.4923 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.7587
हैक्टेयर कृषि भूमि को खातेदार प्रतिवादी सं. 1 रहेगा। वादगत कृषि भूमि पूर्ववत् सम्बन्धित बैंक
के रहन रखी जावे। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख
में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D")
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. शिशपाल पुत्र गिरधारीलाल जाति मेघवाल निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू
2. सरोज उम्र 15 वर्ष
3. देवकरण उम्र 13 वर्ष
4. सोनी उम्र 10 वर्ष

पुत्र व पुत्री गिरधारीलाल जरिये कुदरती माता पानादेवी जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम जासासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र नोरंगराम जाति मेघवंशी निवासी जासासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार महोदय, चूरू
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बीनासर जरिए शाखा प्रबन्धक

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 354 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री भीमसिंह शेखावत एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब व श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा के आधार पर दावा वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 905/896 तादादी 2.2510 हैक्टेयर रोही ग्राम जासासर में से वादीगण को (5 बीघा 18 विश्वा) 1.4923 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.7587 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार प्रतिवादी सं. 1 रहेगा। वादगत कृषि भूमि पूर्ववत् सम्बन्धित बैंक के रहन रखी जावे। तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05 माह जुलाई सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी चूरू